न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–855 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ओमाराम पुत्र गुमानाराम जाति नाई, निवासी बड़ा कोटेचा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह चौधरी
अप्रार्थी की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांक:– 20/1/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– तहसील तिंवरी के ग्राम बड़ा कोटेचा की जमबन्दी खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 270 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, ओमाराम, चेनाराम पि. गुमाराम, कमला बेवा गुमाराम जाति नाई निवासी बड़ा कोटेचा के नाम वर्जमान जमाबन्दी में दर्ज है। राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई पासबुक दिनांक 05.02.73 के खाता संख्या 114 में उपरोक्त भूमि गुमानाराम पिता सिमरथाराम के नाम दर्ज थी। गुमानाराम की मृत्यु के बाद कॉलम संख्या 1 में दर्ज अनुसार जमाबन्दी में दर्ज की गई। भारत सरकार द्वारा जारी वोटर आईडी में भी गुमानाराम पि. सिमरथाराम दर्ज है। 20.03.93 में जारी राशन कार्ड में भी गुमानाराम पि. सिमरथाराम दर्ज है। इसलिए [illegible] चेनाराम पि. गुमानाराम, कमला बेवा गुमानाराम नाई दर्ज करने का आदेश प्रदान क[illegible]

यह है कि प्रार्थी [illegible] पत्र दर्ज [illegible] जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वार[illegible]ाब प्रार्थना पत्र पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जिसमें भी प्रार्थी के पिता का सही नाम गुमानाराम बताया है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा ग्राम बड़ा कोटेचा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में ओमाराम, चेनाराम पि. गुमाराम, कमला बेवा गुमाराम के स्थान पर सही नाम ओमाराम, चेनाराम पि. गुमानाराम, कमला बेवा गुमानाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 20/1/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner